

अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

2025 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिये अभिभाषक श्री मंगलाराम चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 10.01.2025 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

5/1/2025

पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्र अर्न्त 35/अप्रार्थी से ① से ⑥ की ओर से स. शा. सुदीन ने कठालनाम पेश किया। किसे शा. कि किमा गया। भा. जब ले, समय पाते हैं। पत्रावली वास्ते जब 15/01/2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

15/01/25 उपखण्ड अधिकारी अजमेर
उपखण्ड अधिकारी द्वारा कार्य स्वगत नि. 20/01/25 को पत्रावली
कठालनाम के कारण कार्य जारी रखे जाते हैं।
मिसल दिनांक 15/01/25
को वास्ते

आदेशानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

5/1/25

पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्र अर्न्त 35/अप्रार्थी से 212 पत्र अर्न्त सुदीन ने कठालनाम पेश किया। किसे शा. कि किमा गया। भा. जब ले, समय पाते हैं। पत्रावली वास्ते जब 15/01/2025 को पेश हो।


उप खण्ड अधिकारी
अजमेर